विहंगावलोकन

वर्ष 2014-15 के दौरान रक्षा सेवाओं का कुल व्यय ₹2,37,394 करोड़ था। इसमें से, नौसेना ने ₹36,622 करोड़ खर्च किए जबकि तटरक्षक ने ₹2,428 करोड़ खर्च किए, जो की कुल रक्षा व्यय का लगभग क्रमशः 15.43 प्रतिशत तथा 1.02 प्रतिशत था। नौसेना के व्यय का मुख्य भाग पूंजीगत स्वरूप का है, जो कुल व्यय का लगभग 60.81 प्रतिशत है जबकि तटरक्षक का व्यय मुख्यतः राजस्व स्वरूप का था जो कुल व्यय का 52.97 प्रतिशत था।

इस प्रतिवेदन में भारतीय नौसेना तथा भारतीय तटरक्षक के लेन-देन की लेखापरीक्षा से उद्भूत मुख्य निष्कर्ष शामिल किए गए हैं। प्रतिवेदन में शामिल किए गए कुछ मुख्य निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गई है।

I. स्वदेशी विमान वाहक पोत के निर्माण की निष्पादन लेखापरीक्षा

स्वदेशी विमान वाहक के निर्माण हेतु परियोजना अनुमोदन मंत्रीमंडल सुरक्षा समिति द्वारा मई 1999 में किया गया था जिसे अक्तूबर 2002 तथा जुलाई 2014 में संशोधित किया गया। 37,500 टन के जहाज़ की आवश्यकता की पहचान 1990 में की गई थी। तथापि, प्रारम्भिक स्टॉफ मांग, 14 वर्ष बाद, अगस्त 2004 में प्रख्यापित की गई थी। बाह्य डिज़ाईन अनुबंधों को अन्तिम रूप देने तथा प्रमुख प्री-लांच उपकरण की आपूर्ति में विलम्ब ने चरण-I अनुबंध की समय-सीमा बढ़ा दी। चरण-I में निर्माण तथा आऊटफिटिंग हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले प्रति टन मानव घंटे के गलत अनुमान के कारण शिपयार्ड को लगभग ₹476.15 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया। मंत्रालय और पोत निर्माणी, पोत निर्माणी अनुबंधों में प्रगति रिपोर्टिंग के अनिवार्य प्रारूप को शामिल न करने के कारण जहाज़ के निर्माण की भौतिक स्थिति का आकलन करने में सक्षम नहीं हैं। वाहक के लिए चयनित विमान मिग29के, इंजनों, एयरफ्रेम तथा फ्लाय-बाय-वायर प्रणाली में दोषों के कारण परिचालनात्मक कमियों का सामना कर रहा है। 2012 तथा 2016 के बीच निर्धारित विकल्प खण्ड विमान की सुपुर्दगी, आईएसी के सुपुर्दगी कार्यक्रम से बहुत पहले है, जो कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 2023 में प्रस्तावित की गई थी। आईएनएस विक्रमादित्य के सेवा में होने तथा आईएनएस

विराट के 2016-17 में बन्द होने की संभावना के साथ, स्वदेशी विमान वाहक की सुपुर्दगी की समय-सीमा में निरन्तर तब्दीली का नौसैनिक क्षमताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(अध्याय-II)

II. मल नावों की सुपुर्दगी न होना

समुद्री प्रदूषण से बचने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया मल नावों का अधिग्रहण पोत प्रांगण का अपेक्षित क्षमता निर्धारण करने में भारतीय नौसेना की विफलता के कारण अभी फलीभूत होना है जिसके परिणामस्वरूप नावों के निर्माण पर ₹25.97 करोड़ खर्च करने के बाद भी समुद्री प्रदूषण की रोक का मुख्य उद्देश्य पूरा नही हुआ।

(पैराग्राफ 3.1)

III. एक विमान के लिए युद्ध-सामग्री की अधिप्राप्ति पर ₹9.97 करोड़ का परिहार्य व्यय

इस तथ्य के बावजूद कि एक पहले अनुबंध के अन्तर्गत विकल्प खण्ड 27 मार्च 2010 तक वैध था, मंत्रालय ने फर्म को मूल्य वृद्धि देते हुए, मिग 29के/केयूबी हेतु यूद्ध-सामग्री की आपूर्ति के लिए फर्म के साथ 8 मार्च 2010 को एक ठेका किया, जो केवल पहले अनुबंध के विकल्प खण्ड की वैधता की समाप्ति पर ही भुगतान-योग्य थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹9.97 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.2)

IV. मैग्नेट्रॉन्स की अधिप्राप्ति में अतिरिक्त व्यय

एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने ₹8.68 करोड़ के अतिरिक्त व्यय पर एक विशेष फर्म से सी-किंग हेलिकॉप्टर रडार प्रणाली के ट्रांसमीटर रिसीवर यूनिटों (टीआरयू) के नवीनीकरण के लिए मैग्नेट्रॉन की अधिप्राप्ति की। नवीनीकरण के बावजूद, 17 टीआरयू की

आवश्यकता के प्रति केवल पांच टीआरयू प्रयोज्य थे जिसके परिणामस्वरूप सी-किंग हेलिकॉप्टरों का केवल स्थानीय मिशनों हेतु सीमित उपयोग किया जा सका।

(पैराग्राफ 4.1)

V. नौसैनिक जहाज़ों के लिए रेडियो प्रापक प्रकाशस्तंभों की परिहार्य अधिप्राप्ति

नौसेना के अंतर्गत विभिन्न निदेशालयों/स्थापनाओं एवं जहाजों में समन्वय के अभाव में ₹6.19 करोड़ मूल्य के पांच रेडियो प्रापक प्रकाशस्तम्भों की परिहार्य अधिप्राप्ति हुई।

(पैराग्राफ 4.2)

VI. पम्पों की अधिप्राप्ति में निर्णीत हर्ज़ाने न लगाना

रक्षा मंत्रालय ने पम्पों की सुपुर्दगी में निर्णीत हर्ज़ाने के साथ विस्तार प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना), विलम्बित आपूर्तियों के लिए फर्म पर ₹1.56 करोड़ की राशि के निर्णीत हर्जाने (एलडी) को उदग्रहित करने में विफल रहा।

(पैराग्राफ 4.3)

VII. विमान उतरने के प्रभारों में संशोधन न करने के कारण ₹6.18 करोड़ की कम वसूली

भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (एईआरए) को पूंजीगत व्यय तथा अनुरक्षण प्रभारों के ब्यौरे समय पर प्रस्तुत न करने के कारण, वे जुलाई 2013 से गोवा विमानपत्तन के प्रभारों की विमान उतरने के लिए संशोधित टैरिफ दरों से वंचित रहे जिसके परिणामस्वरूप ₹6.18 करोड़ की कम वसूली हुई।

(पैराग्राफ 4.4)

VIII. तटरक्षक द्वारा एयर एनक्लेव की स्थापना हेतु भूमि के अधिग्रहण पर ₹5.73 करोड़ का निष्फल व्यय

नौसेना द्वारा 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' की आवश्यकता वाली राजपत्र अधिसूचना का संज्ञान लेने में रक्षा मंत्रालय/तटरक्षक/रक्षा सम्पदा कार्यालय की विफलता के कारण विशाखापत्तनम पत्तन न्यास से ₹5.73 करोड़ की लागत से प्राप्त भूमि पर तटरक्षक के लिए एअर एनक्लेव नहीं बन सका। इसके परिणामस्वरूप निवेश के निष्फल रहने के साथ-साथ तटरक्षक की परिचालनात्मक तैयारी भी प्रभावित हुई।

(पैराग्राफ 5.1)